न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/1404

1. बजरंग सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह निवासी–399 बन्धा के पास, भूदोली, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर।
2. राजस्थान सरकार, तहसीलदार, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर।
3. पोखर मल पुत्र बिडदूराम, निवासी–उदयनगर भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राजस्थान।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 05.05.2025 जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट प्रार्थना पत्र संख्या 130/2025 बउनवानी पोखर मल बनाम तहसीलदार नीमकाथाना पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हेमेन्द्र सिंह राणावत, श्री सन्तोष कुमार शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. श्री राजकुमार शर्मा, रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–27.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 05.05.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 28.05.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 03 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में स्थित भूमि खाता संख्या 639 के भूमि खसरा नम्बर 2456/1221 रकबा 1.33 है0 बारानी 3 में कुल किता 1 कुल रकबा 1.33 है0 स्थित है। उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम से हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष सीमाज्ञान आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा पटवार हल्का भूदोली द्वारा दिनांक 02.04.2025 को मौके पर पहुॅच कर प्रार्थी व अन्य की उपस्थिति में उक्त भूमियों के पोईन्ट कायम कर नाप की जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 02.04.2025 किया जाकर सीमाज्ञान चिन्ह किये गये। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान तैयार कर रिपोर्ट फर्द मौका सीमाज्ञान अप्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.04.2025 की पालना में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थरगढी अप्रार्थी से करवाया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 2456/1221

रकबा 1.33 है0 में प्रार्थी तथा पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 02.04.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करें। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 05.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट बजरंग सिंह पुत्र श्री गणपत सिंह ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 05.05.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2025 विधि विधान एवं प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने में तथ्यात्मक एवं कानूनी त्रुटि की है इसलिए अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/अपीलार्थी को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट 1956 में पक्षकार नहीं बनाया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा अपने खसरा नम्बर 2456/1221 रकबा 1.33 हेक्टेयर का सीमाज्ञान प्रार्थी अपीलार्थी की कृषि भूमि से करवाया जाना है इसमें अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक था और अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान कर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना निर्णय पारित किया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। इसलिए अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत करने हेतु धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान की पत्रावली तैयार करते समय भी प्रार्थी/अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई है और उसकी अपीलार्थी को कोई सूचना नही दी गई है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 3 उक्त विवादित खसरा नम्बर 2456/1221 की सीमाज्ञान रिपोर्ट बाला–बाला ही करवाना चाहता है और अपीलार्थी की जमीन को हडपने की नियत से अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के खसरा नम्बर 2456/1221 में किसी प्रकार का कोई सीमाज्ञान कराने की आवश्यकता नही है लेकिन अपीलार्थी के कृषि योग्य भूमि को हडपने की नियत से प्रशासन व राजनैतिक प्रभाव रखने के कारण प्रार्थी अपीलार्थी की जमीन हडपने की नियत से उक्त आदेश प्रार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित करवाया है जिससे साफ जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के मन में प्रारंभ से बेईमानी पूर्वक अपीलार्थी की कृषि भूमि हडपने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में आदेश पारित करवाया है। अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 20.05.2025 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल लेने गया तो उस समय पटवार हल्का से उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त हुई इसके उपरान्त अपीलार्थी

ने अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय से नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील तैयार कर श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी का पटवार हल्का भूदोली भू–अभिलेख क्षेत्र भूदोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर वाके ग्राम भूदोली में कृषि भूमि की जमीन खसरा नम्बर 2455/1221 जिसका कि अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है एवं उक्त खसरा नम्बर की भूमि का एक मात्र मालिक एवं स्वामी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जिस खसरा नम्बर का सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाना चाह रहा है उक्त खसरा नम्बर अपीलार्थी के खसरे से लगवा है। इसलिए अपीलार्थी को उक्त रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से आदेश पारित करवाने के प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी को एक आवश्यक पक्षकार बनाना अत्यन्त आवश्यक था लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नही बनाया गया। इसलिए अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2025 की अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 पारित किया गया है जिसमें कि अपीलार्थी कानूनन आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था उसके उपरान्त अपीलार्थी को आवश्यक पक्षकार नही बनाया, इसलिए अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को उक्त आदेश दिनांक 05.05.2025 के विरूद्व अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। न्यायहित में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2025 अपास्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट नं. 03 .ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि राजस्व ग्राम भूदोली पटवार हल्का भूदोली तहसील नीम का थाना जिला सीकर में स्थित भूमि खाता संख्या 639 के भूमि खसरा नम्बर 2456/1221 रकबा 1.33 है0 बारानी 3 में कुल किता 1 कुल रकबा 1.33 है0 स्थित है। उक्त भूमियों की खातेदारी राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के नाम से हिस्सा सम्पूर्ण दर्ज है। उक्त भूमियों के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष सीमाज्ञान आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर अप्रार्थी द्वारा पटवार हल्का भूदोली द्वारा दिनांक 02.04.2025 को मौके पर पहुँच कर प्रार्थी व अन्य की उपस्थिति में उक्त भूमियों के पोईन्ट कायम कर नाप की जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 02.04.2025 किया जाकर सीमाज्ञान चिन्ह किये गये। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सीमाज्ञान तैयार कर रिपोर्ट फर्द मौका सीमाज्ञान अप्रार्थी के कार्यालय में प्रस्तुत की गई। प्रार्थना पत्र में वर्णित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.04.2025 की पालना में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की पत्थरगढी अप्रार्थी से करवाया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 03 का प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया गया कि तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम भूदोली

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

पटवार हल्का भूदोली तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 2456/1221 रकबा 1.33 है0 में प्रार्थी तथा पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 02.04.2025 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 में वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए पत्थरगढी करवाकर विवाद का निस्तारण करें। दौराने पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 पारित किये गये हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अंपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128 एल.आर.एक्ट में पडौसी खातेदार काश्तकार अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय में कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के कथन को सही मानते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की आराजी से लगती हुई अपीलान्ट की भूमि स्थित है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि के समीपस्थ पक्षकारान् है। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2025 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि –अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2025 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 27.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर